लय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

पत्र संख्या :121/2012 दायर दिनांकः 11.12.2012

S NO:- 2012/00111 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

रंगलाल आ0 लोडक्या जाति मीणा नि0 रघुनाथपुरा तहसील नैनवॉ।

–प्रार्थी

बनाम

1. रामप्रताप उर्फ प्रताप पुत्र रामनारायण जाति मीणा नि0 रघुनाथपुरा।
2. भूमिधारी राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवॉ।

–अप्रार्थीगण –

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क आर.टी एक्ट,ष्उपस्थिति–

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री जयसिंह आशावत।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र कुमार जैन।

निर्णय दिनांक 26.6.2025

निर्णय

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम रघुनाथपुरा तहसील नैनवॉ मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 76, 77, 78, 79 व 80 स्थित है जिस पर पहुंचने के लिए ग्राम रघुनाथपुरा से दुगारी जाने वाले आम रास्ता पर चलता हुआ बालाजी के मन्दिर की बनी मे डहर नामक स्थान पर पहुंचता है तथा फिर आमरास्ते से उक्त स्वयं के खातेदारी की भूमि की ओर मुडकर सगस जी महाराज के स्थान के सामने से होकर खाल नाले को पार कर खसरा नम्बर 73 सिवायचक लगानी मे होकर वर्तमान खसरा नम्बर 516/73 रकबा 3 बीघा (जिसका पूर्व नम्बर 73 मिन रकबा 3 बीघा था) जो कि मूल खसरा नम्बर 73 का ही अंश है, मे प्रवेश करता है तथा इस खसरा नम्बर 516/73 के पूर्वी भाग मे होकर खसरा नम्बर 74 के पश्चिमी मेड के सहारे सहारे चल कर अपने खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 77 मे पहुंचता है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी के खातेदारी भूमि पर पहुंचने का अन्य कोई रास्ता नही है।

यह कि खसरा नम्बर 73 बडा खसरा नम्बर था जिसमे से 03 बीघा भूमि अप्रार्थी प्रताप आ0 रामनारायण जाति मीणा नि0 रघुनाथपुरा को आवंटित हो गयी जिसे राजस्व रिकॉर्ड मे पहले तो खसरा नम्बर 73 मिन तथा वर्तमान मे खसरा नम्बर 516/73 दिया गया है जिसकी तरमीम नक्शे मे खसरा नम्बर 74 के पश्चिमी भाग के लगवा वाले भाग पर तथा खसरा नम्बर 77 के दक्षिणी ओर के भाग पर जहां कि पहले से प्रार्थी का रास्ता निकला हुआ था, गलत रूप से कर दी गयी है जिसे अब अप्रार्थी प्रताप अपने खातेदारी की भूमि बताकर रास्ता बंद करने पर उतारू है।

यह कि अप्रार्थी रामप्रताप उर्फ प्रताप ने प्रार्थी द्वारा वर्णित रास्ते को रोकने के लिए खसरा नम्बर 73 मिन जिसे कि अब खसरा नम्बर 516/73 नम्बर दे दिया गया है, के संबंध मे एक वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राज0 टिनेन्सी एक्ट श्रीमान के न्यायालय के समक्ष बउनवान रामनारायण प्रताप आदि बनाम रंगलाल आदि वाद संख्या 93/95 पेश किया था जो दिनांक 04.04.2002 को खारिज हो गया है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित पुरातन समय से चले आ रहे प्रार्थी के कुंए पर जाने के रास्ते को बंद करने की गरज से अप्रार्थी रामप्रताप उर्फ प्रताप ने न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, नैनवॉ के वाद संख्या 93/95 खारिज होने के बावजूद राजस्व अधिकारियों से मिली भगत कर गलत तरीके से रास्ते की भूमि पर नक्शे मे तरमीम करवा ली जबकि प्रार्थी उक्त भूमि का उपयोग सदैव से रास्ते के रूप मे करता चला आ रहा है जिसकी जानकारी सदैव से अप्रार्थी को रही है। रास्ते की भूमि पर अप्रार्थी को किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नही है। अप्रार्थी रामप्रताप उर्फ प्रताप अपने खातेदारी की भूमि बताकर जबरन रास्ते को रोक रहा है तथा प्रार्थी को रास्ता उपयोग व उपभोग करने से वंचित करना चाहता है। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है।

प्रार्थना पत्र दिनांक 11.12.2012 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र कुमार जैन द्वारा दिनांक 08.1.2013 को वकालातनामा पेश किया गया तथा दिनांक 02.07.2013 को जवाब प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पेश कर विशेष आक्षेप मे कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि खसरा नम्बर 76, 77, 78, 79 व 80 पर अम्बालाल आ0 लोडक्या व मनभर, दाखा पुत्रियां लोडक्या का नाम भी खातेदार कृषक के रूप मे जमाबन्दी मे दर्ज है जिन्हे विचाराधीन प्रकरण मे आवश्यक पक्षकार नही बनाया गया जिससे प्रार्थना पत्र पोषनीय नही होने से खारिज योग्य है। साथ ही कथन किया कि प्रार्थी के खेत

खसरा नम्बर 77, 78, 79 व 80 पर गाडी बैल, कृषि उपकरणों को लाने ले जाने, पैदल जाने का पुराना रास्ता ग्राम रघुनाथपुरा की आबादी के खसरा नम्बर 525/99 मे से होकर खसरा नम्बर सिवायचक मे होकर खसरा नम्बर 78, 79 व 80 मे पहुंचता है एवं दुसरा रास्ता रघुनाथपुरा स्थित खसरा नम्बर 67, 70 सिवायचक से होता हुआ प्रार्थी के खेत खसरा म्बर 77 पर पहुंचता है तथा एक अन्य रास्ता खसरा नम्बर 25 सिवायचक से होता हुआ खसरा नम्बर 16 सिवायचक से होता हुआ खसरा नम्बर 75 सिवायचक मे होता हुआ प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 76 व 79 मे पहुंचता है। उक्त तीनों ही रास्ते जो प्रार्थी रंगलाल के खेतों मे पहुंचते है, वर्तमान मे भी निरन्तर निर्बाध रूप से चालू होने से प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। उक्त तीनों रास्तों को जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट क मे दर्शाया हुआ है। उक्त तीनों रास्ते चालू होने के उपरान्त चौथा रास्ता प्रार्थी को प्राप्त करने का कोई हक अधिकार प्राप्त नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार नैनवॉ द्वारा दिनांक 10.12.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान के अन्तर्गत पेश की गयी जो अपूर्ण होने से पुनः नियमानुसार उभय पक्षकारान को सूचित कर रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा गया जिस कम मे तहसीलदार नैनवॉ द्वारा दिनांक 20.02.2023 से पुनः रिर्पोट प्राप्त हुई। दिनांक 11.10.2023 को तहसीलदार की उक्त रिपोर्ट मे वैकल्पिक रास्ते व निकटतम रास्ते पर टिप्पणी नही होने पर पुनः रिपोर्ट करने हेतु तहसीलदार नैनवॉ को लिखा गया। तहसीलदार नैनवॉ द्वारा पुनः वैकल्पिक रास्ते एवं निकटतम रास्ते की टिप्पणी के साथ रिपोर्ट दिनांक 05.02.2024 को पेश की गयी।

दिनांक 22.05.2025 को बहस सूनी गयी। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम रघुनाथपुरा तहसील नैनवॉ मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 76, 77, 78, 79 व 80 स्थित है जिस पर पहुंचने के लिए ग्राम रघुनाथपुरा से दुगारी जाने वाले आम रास्ता पर चलता हुआ बालाजी के मन्दिर की बनी मे डहर नामक स्थान पर पहुंचता है तथा फिर आमरास्ते से उक्त स्वयं के खातेदारी की भूमि की ओर मुडकर सगस जी महाराज के स्थान के सामने से होकर खाल नाले को पार कर खसरा नम्बर 73 सिवायचक लगानी मे होकर वर्तमान खसरा नम्बर 516/73 रकबा 3 बीघा (जिसका पूर्व नम्बर 73 मिन रकबा 3 बीघा था) जो कि मूल खसरा नम्बर 73 का ही अंश है, मे प्रवेश करता है तथा इस खसरा नम्बर 516/73 के पूर्वी भाग मे होकर खसरा नम्बर 74 के पश्चिमी मेड के सहारे सहारे चल कर अपने खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 77 मे पहुंचता है। उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करवाया जावें। तथा साथ ही निवेदन किया कि तहसीलदार साहब नैनवॉ द्वारा प्राप्त दिनांक 05.02.2024 अनुसार यदि प्रार्थी को रास्ता दिया जाता है तो उसमे प्रार्थी को कोई आपत्ती नही होगी। जिस पर अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी की भूमि पर पहुंचने के लिए एक रास्ता तो ग्राम रघुनाथपुरा की आबादी के खसरा नम्बर 525/99 मे से होकर खसरा नम्बर 94 सिवायचक मे होकर खसरा नम्बर 78, 79 व 80 मे पहुंचता है एवं दुसरा रास्ता रघुनाथपुरा स्थित खसरा नम्बर 67, 70 सिवायचक से होता हुआ प्रार्थी के खेत खसरा म्बर 77 पर पहुंचता है तथा एक अन्य रास्ता खसरा नम्बर 25 सिवायचक से होता हुआ खसरा नम्बर 16 सिवायचक से होता हुआ खसरा नम्बर 75 सिवायचक मे होता हुआ प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 76 व 79 मे पहुंचता है। उक्त तीनों ही रास्ते जो प्रार्थी रंगलाल के खेतों मे पहुंचते है, वर्तमान मे भी निरन्तर निर्बाध रूप से चालू होने से प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। उक्त तीनों रास्ते चालू होने के उपरान्त चौथा रास्ता प्रार्थी को प्राप्त करने का कोई हक अधिकार प्राप्त नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। साथ ही अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार नैनवॉ द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 05.02.2024 पर आपत्ती लगाते हुए निवेदन किया कि उक्त रिपोर्ट मे श्रीमान तहसीलदार साहब द्वारा मेरे अभिभाष्य के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 74 के वीच मे से रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया है जो न्यायोचित नही है तथा उक्त रास्ता दिया जाने से उनके अभिभाष्य का खेत दो टूकडों मे विभाजित हो जावेगा अतः यदि माननीय न्यायालय को प्रार्थी को रास्ता देना ही है तो खसरा नम्बर 74 के बीच के बजाय मेर पर से दिया जावे जिससे उनके अभिभाष्य को खेत दो भागों मे विभक्त होने से बच सकें। इस पर पुनः प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवॉ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 05.02.2024 द्वारा पेश की गयी रिपोर्ट मे जो रास्ता प्रस्तावित किया गया है, मौके पर भी बना हुआ है अतः माननीय न्यायालय से गुजारिश है कि श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवॉ द्वारा पेश की गयी रिपोर्ट दिनांक 05.02.2025 द्वारा रास्ता दिया जाकर राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज करवाने का आदेश फरमाया जावें।

उभयपक्ष कें विद्वान अधिवक्तागण द्वारा की गयी बहस को ध्यानपूर्वक सूना तथा पाया कि प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 76, 77, 78, 79 व 80 पर पहुंचने के लिए तहसीलदार नैनवॉ द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 05.02.2024 अनुसार रास्ता दिया जाने मे अप्रार्थी का खेत दो भागों मे विभक्त हो जावेगा जिससे तहसीलदार नैनवॉ से खसरा नम्बर 74 की मेर पर होकर रास्ते का प्रस्ताव तैयार कर पुनः रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा गया।

तहसीलदार नैनवॉ द्वारा दिनांक 25.06.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। आज दिनांक 26.05.2025 को पुनः बहस उभय पक्षकारान अधिवक्तागण की सूनी गयी। तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट पर प्रार्थी

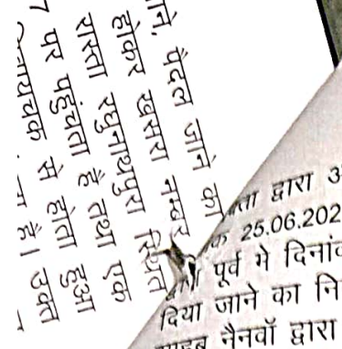

द्वारा आपत्ती लगाते हुए निवेदन किया कि श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवॉ की रिपोर्ट दिनांक 25.06.2025 के अनुसार रास्ता यदि दिया जाता है तो उन्हे आपत्ती होगी। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पूर्व मे दिनांक 05.02.2024 से प्राप्त श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवॉ की रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जाने का निवेदन किया। जिस पर अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवॉ द्वारा प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 25.06.2025 द्वारा यदि प्रार्थी को रास्ता दिया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ती नही होगी।

हमने उभयपक्ष कें विद्वान अधिवक्तागण द्वारा की गयी बहस को ध्यानपूर्वक सूना। पूर्व मे दिनांक 22.05.2025 को विद्वान अधिवक्तागण द्वारा की गयी बहस तथा आज दिनांक 26.6.2025 को की गयी बहस के विवेचन, प्रार्थना–पत्र, व प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड व रास्ते के सम्बंध में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट्स का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 76, 77, 78, 79 व 80 पर पहुंचने के लिए तहसीलदार नैनवॉ द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 25.06.2025 अनुसार रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट दिनांक 25.06.2025 के अनुसार ग्राम रघुनाथपुरा स्थित प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 76, 77, 78, 79 व 80 पर आने जाने के लिए खसरा नम्बर 4599/73 व 74 मे से निम्नानुसार रास्ता दिये जाने के आदेश दिया जाकर नक्शा ट्रेस जिसमे रास्ता दर्शाया गया है, को परिशिष्ट क नाम दिया गया है, जो इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा।

रास्ते में प्रयुक्त होने वाली भूमि का विवरणः–

खसरा नं0	खातेदार	किस्म	लम्बाई	x चौडाई	क्षेत्रफल
4599/73	नाबालिग कृष्ण वगै.बंजड (खातेदारी)		370 फीट	x 15 फीट	5550 वर्गफीट
					अर्थात 0.0515 हैक्टयर
74	प्रतापनारायण (खातेदारी)	बा.4	501.6 फीट	x 15 फीट	7524 वर्गँफीट
					अर्थात 0.0699 हैक्टयर

कुल क्षेत्रफल = 13074 वर्गफीट या 0.1214 हैक्टयर

तहसीलदार नैनवॉ को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार प्रतिकर राशि राजकोष में जमा होने के उपरांत परिशिष्ट क के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर मौके पर रास्ता बहाल करें। निर्णय आज दिनांक 26.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतलिपि)

दिनांक : 19/06/2025 01:24:22 PM

तहसील : नैनवा

भू. अ. नि. क्षेत्र :बांसी

ग्राम : रघुनाथपुरा

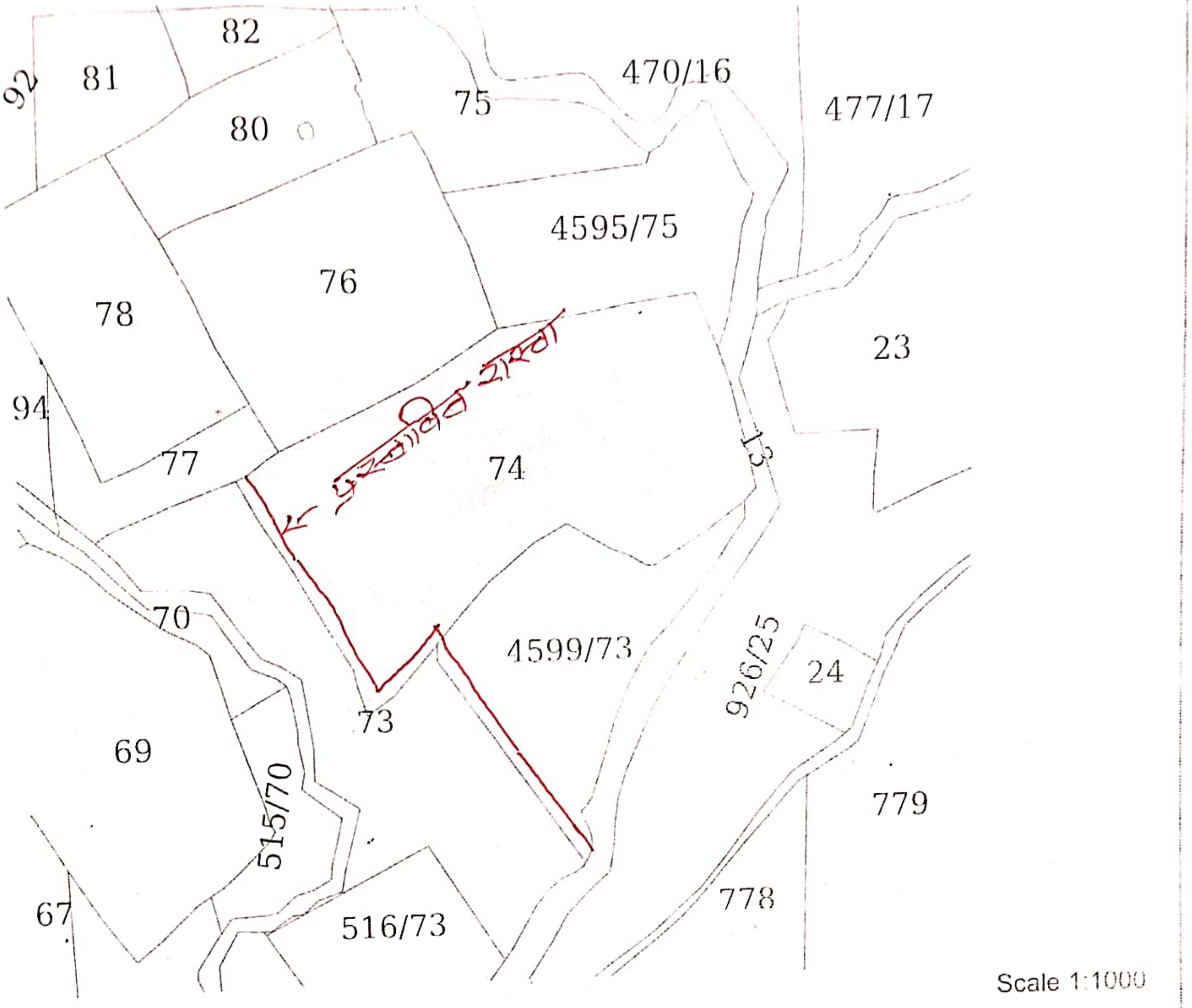

खसरा सख्या :74 क्षेत्रफल : 1.9821 Hectare खाता सख्या : 50पुराना खाता सख्या :47

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बारानी 4 [1.9821, 7.35]

1.) प्रतापनारायण पुत्र रामनारायण हिस्सा- पूर्ण जाति- मीणा सा. देह खातेदार (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा NAINWA

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप मे नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

रास्ता हेतु जारी

19/06/25

पटवारी

19/6/25
ILR

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बूंदी)